जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

विधि/एच/2174/22 दिनांक 16/1/2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
2. संचालक, अनुसंधान सेवाएं/विस्तार सेवाएं/प्रक्षेत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
3. अधिष्ठाता, कृषिउद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/टीकगमढ़/जबलपुर /गंजबसौदा/रीवा/खुरई/रेहली/छिंदवाड़ा/बालाघाट/पवारखेड़ा।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
5. प्रभारी जैव प्रोद्यौगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
6. प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
7. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
8. समस्त सह–संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
9. विभागाध्यक्ष.....कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
10. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआं, गढ़ाकोटा, सागर।
11. समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रिय कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
12. कार्यपालन यंत्री/सुरक्षा अधिकारी/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/प्रभारी फार्म, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
13. समस्त, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
14. सहायक कुलसचिव सामान्य, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
15. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
16. समस्त अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

विषयः– न्यायालयीन कार्य में नियुक्त किये गये प्रकरण प्रभारी अधिकारियों के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिकाएं/रिट अपीले/श्रमिकों से संबंधित प्रकरणों के सक्षम बचाव किये जाने हेतु वि.वि. की ओर से प्रकरण प्रभारी अधिकारियों का नियोजन किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण से संबंधित अभिलेख अविलंब एकत्रित कर प्रकरण में नियोजित अधिवक्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर वकालतनामा एवं जवाबदावा/उत्तर तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायें।

न्यायालयीन प्रकरणों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वि.वि. द्वारा नियुक्त किये गये प्रकरण प्रभारी अधिकारियों द्वारा आदेश प्रसारित हो जाने के कई महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वे नियोजित अधिवक्ताओं से संपर्क नही करते है। न ही प्रकरणों के सक्षम बचाव किये जाने हेतु वकालतनामा भरकर नियोजित अधिवक्ता के कायालय में जमा करते है। इस कारण उक्त प्रकरणों में अधिवक्ताओं का नाम सम्मिलित नही होने से प्रकरणों की निरन्तर हो रही सुनवाई की जानकारी प्रकरण में नियोजित अधिवक्ता को नही हो पाती है जिससे प्रकरण में भयावह स्थिति निर्मित होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि प्रकरण प्रभारी अधिकारी प्रकरण से–

संबंधित अभिलेखों को कई वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एकत्रित कर नियोजित अधिवक्ता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर जवाबदावा/उत्तर प्रस्तुत नही करते है। जब माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करती है तो प्रकरण प्रभारी अधिकारी जवाब/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु विलंबकारी नीति/टालमटोल करने की चेष्टा करते है। यह भी देखा गया है कि नियुक्त किये गये प्रकरण प्रभारी अधिकारी प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का पूर्ण रूप से अध्ययन/अवलोकन नही करते है।

अतः समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त किये गये प्रकरण प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे वि.वि. द्वारा जारी किये गये आदेश के परिपालन में आदेश प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर वकालतनामा प्रस्तुत करें तत्पश्चात एक माह की समय-सीमा के भीतर प्रकरण का जवाबदावा/उत्तर संबंधित न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत किये गये उत्तर की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजे। प्रकरण प्रभारी अधिकारी प्रकरण के अन्तिम निराकरण होने तक नियोजित अधिवक्ता से निरन्तर संपर्क बनाये रखे।

प्रकरण प्रभारी अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण यदि प्रकरण में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है या नियोजित अधिवक्ता द्वारा वि.वि. से संपर्क स्थापित कर प्रकरण प्रभारी अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की लिखित/मौखिक शिकायत की जाती है तो ऐसी दशा में प्रकरण प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं उनकी व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टीप दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव 16/1/2020